# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
# उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 28/2025
दायरा दिनांकः–07.04.2025
निर्णय दिनांकः– 30.6.25

## उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति चांडाल
2. कला बाई आयु 6 वर्ष पुत्री मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति चांडाल
3. फूलकंवर आयु 50 वर्ष पुत्री मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति चांडाल
4. रामदयाल आयु 55 वर्ष पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति चांडाल
5. राममूर्ति आयु 53 वर्ष पुत्री मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति चांडाल
6. बाबू आयु 70 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति चांडाल निवासीगण ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण 1 ता 6 के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 359 की खसरा संख्या 521 की रकबा 0.3667 हैक्टयर, भूमि वाके माल बापचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रार्थीगण कम 1 ता 6 का हिस्सा प्रार्थीया कम 2 कलाबाई प्रार्थीया कम 3 फूलकवंर प्रार्थीया कम 6 राममूर्ति का हिस्सा 1/10–1/10 स्थित है व प्रार्थी कम 1 ओमप्रकाश प्रार्थी कम 5 रामदयाल का हिस्सा 9/40–9/40 व प्रार्थी कम 4 बाबू का हिस्सा 1/4 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदीं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी कम 1 ता 5 की वाके माल बापचा तहसील छबडा मे भूमि खाता संख्या 358 की भूमि खसरा नम्बर 457 की रकबा 1.3277 हैक्टयर व भूमि खसरा संख्या 716/1 रकबा 0.2529 हैक्टयर कुल किता 2 की रकबा 1.5806 हैक्टयर भूमि स्थित है



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...समे प्रार्थी कम 1 ता 5 का हिस्सा 1/5–1/5 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। जिसकी वर्तमान जमाबंदीया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी कम 1 ओमप्रकाश स्वयं के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 37 की खसरा नम्बर 61/3 की रकबा 1.2646 हैक्टयर वाके माल बोरखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान मे स्थित है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1, 2, 3 में वर्णित भूमि के अपने अपने हिस्से की भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति 4 पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल उर्फ मांग्या के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमि एलोटमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल उर्फ मांग्या की जाति चांडाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे चिंडार दर्ज कर दी। जबकि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति चांडाल है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1. 2, 3 मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे चिंडार के स्थान पर दुरूस्तीकरण किया जाकर जाति चांडाल दर्ज किया जावे। जो अत्यन्त आवश्यक एंव न्यायोचित है। प्रार्थीगण के काका के लड़के फूलचंद की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की खाता संख्या 213 की खसरा संख्या 459/16 की रकबा 0.5058 हैक्टयर वाके माल बापचा तहसील छबड़ा स्थित है जिसमे प्रार्थी फूलचंद की जाति चांडाल दर्ज है तथा उसका चाण्डाल जाति का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है जिसमे भी प्रार्थी की जाति चांडाल दर्ज है। एंव प्रार्थीगण के परिवार के सीताराम पुत्र रघुनाथ व चौथमल पत्नि सीताराम 15/07/1992 को भूमि खसरा संख्या 392/10 की रकबा 4 बीघा वाके माल बापचा तहसील छबड़ा एलोटमेन्ट हुई थी जिसमे उनकी जाति चाण्डाल दर्ज है। वाके माल बापचा तहसील छबड़ा की भूमि खसरा संख्या 398/11 की रकबा 4 बीघा भूमि एलोटमेन्ट हुई जिसमे प्रार्थीगण के काका के लड़के फूलचंद व नन्दू की जाति चाण्डाल दर्ज है। प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या व उनके परिवारजनो के सदस्यो धीरपसिंह पुत्र रघुनाथ महेन्द्र कुमार पुत्र मुन्नालाल, व प्रार्थीगण ओमप्रकाश, रामदयाल पुत्रगण मांगीलाल उर्फ मांग्या, देवराज पुत्र रामदयाल ने चाण्डाल जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवा रखे है जो उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। प्रार्थी ओमप्रकाश के स्वयं के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि वाके माल आंचोली तहसील छबड़ा की भूमि खाता संख्या 326 की खसरा संख्या 329/2 की रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि की जमाबंदी मे प्रार्थी की जाति चाण्डाल दर्ज है जिसकी जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी ओमप्रकाश की ग्राम पंचायत बापचा के सरपंच पद रहते हुये राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 27/10/2014 को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में प्रार्थी ओमप्रकाश की जाति चाण्डाल ही माना था। प्रार्थीगण के रिश्तेदार जो वर्तमान मे भंवरगढ़ तहसील किशनगंज मे रहते है ने दिनांक 07/05/2012 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज मे राजस्व रिकार्ड मे अपनी जाति चाण्डाल दर्ज कराने के लिए एक वाद पत्र पेश किया था जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30/03/2015 को पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार पुरूषवानी साहब द्वारा आदेश व डिकी पारित कर उनकी जाति राजस्व रिकार्ड मे चाण्डाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिया गया था। प्रार्थीगण अन्य रिश्तेदारो द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद मे एक वाद धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड मे अपनी जाति चाण्डाल वर्ज किया जाने का निवेदन किया गया था। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20/04/2001 में प्रार्थीया की मूल जाति चाण्डाल माना था। प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकार्ड मे तहसीलदार तहसील



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बाद को चाण्डाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया गया था। प्रार्थीगण अन्य तेदारो द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज मे एक वाद धारा 88,89,188 आर०टी०एक्ट दिनांक 30/08/2016 को पेश किया था जिसमे माननीय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज द्वारा अपने निर्णय 04/10/2019 मे वादीगण की जाति चाण्डाल दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिया गया था कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारों जिला बारां द्वारा दिनांक 07/09/2012 को प्रार्थी ओमप्रकाश की जाति के सन्दर्भ में की गई रिपोर्ट मे प्रार्थी ओमप्रकाश की जाति चाण्डाल होना माना था। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1, 2, 3 में वर्णित भूमि के खातो मे प्रार्थीगण की जाति चिंडार गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। जिसे सही कराकर प्रार्थीगण चाण्डाल दर्ज कराना चाहते है जो अत्यंत आवश्यक एंव न्यायोचित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1,2,3 मे वर्णित भूमि के खातो पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहते है परन्तु जो प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में जाति चांडाल दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 359 नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 358 नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखेडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 37 नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज बउनवान बुद्धिप्रकाश बनाम नारायणलाल नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2001 न्यायालय उप जिला कलक्टर शाहाबाद बउनवान योगेन्द्र सिंह बनाम सरकार नकल निर्णय दिनांक 04.10.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज बउनवान गोविन्दा बनाम सरकार कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना बापचा जांच रिपोर्ट दिनांक 21. 06.2011 नकल कार्यालय जिला कलक्टर महोदय बारां का आदेश दिनांक 30.08.2012 नकल आदेश राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज0) दिनांक 27.10.2014 कार्यालय अति0 पुलिस अधीक्षक बारां का पत्र क्रमांक 2381 दिनांक 07.09.2012 जाति प्रमाण पत्र ओमप्रकाश दिनांक 13.10.2014 जाति प्रमाण पत्र फुलचन्द दिनांक 21.02.2025 जाति प्रमाण पत्र रामदयाल दिनांक 04.10.2014 जाति प्रमाण पत्र देवराज दिनांक 04.10.2014 नकल नामान्तरण संख्या 798 ग्राम बापचा नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2065–68 खाता संख्या 188 नकल नामान्तरण संख्या 659 ग्राम बापचा नकल नामान्तरण संख्या 660 ग्राम बापचा नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 326 नकल जमाबन्दी ग्राम राहरोन सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 24 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 307 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण क्रम 2, व 3 एवं 6 का हिस्सा 1/10, 1/10 है प्रार्थी क्रम 1 व 5 का हिस्सा 9/10 9/40 एवं प्रार्थी क्रम 4 का हिस्सा 1/4 स्थित है प्रार्थी क्रम 1 ओप्रकाश की भूमि ग्राम बोरखेडी में



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

स्थित है प्रार्थीगण उक्त भूमि पर हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण पिता मांगीलाल उर्फ मांग्या को उक्त भूमि एलोटमेन्ट के समय सहवन से प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल की जाति चांडाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में चिंडार दर्ज कर दी जबकि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति चांडाल है प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चिंडार के स्थान पर चांडाल दर्ज किया जावें। प्रार्थी के काका के लडके फूलचन्द के खातेदारी की आराजी ग्राम बापचा में स्थित है जिसमें प्रार्थी फूलचन्द की जाति चांडाल है उसका जाति प्रमाण पत्र चाण्डाल जाति का बना हुआ है प्रार्थीगण के परिवार के सीताराम पुत्र रघुनाथ व चौथमल पत्नि सीताराम को दिनांक 15.17.1992 को भूमि आंवटन हुई थी जिसमें उसकी जाति चाण्डाल दर्ज है फूलचन्द व नन्दु को भूमि आंवटन हुई उनकी जाति चाण्डाल दर्ज है प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या एवं परिवार जन धीरपसिंह, महेन्द्र कुमार, ओमप्रकाश, रामदयाल, देवराज के जाति प्रमाण पत्र में जाति चांण्डाल है ओमप्रकाश ग्राम पंचायत बापचा के सरपंच पद पर रहतें हुए राज0 सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 27.10.2014 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में ओमप्रकाश की जाति चांण्डाल मानी थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज, शाहाबाद, में विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय पारित कर प्रार्थीगण की जाति चाण्डाल माना था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा दिनांक 07.09.2012 को दी गई। रिपोर्ट में प्रार्थी ओमप्रकाश की जाति चाण्डाल होना माना था। प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात में जाति चाण्डाल दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंछित होना पड रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की जाति चिंडार के स्थान पर चांडाल दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें पाया कि राजस्व ग्राम बापचा के वर्तमान खाता संख्या 359 खसरा नम्बर 521 रकबा 0.3667 है कुल किता 1 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज जमाबन्दी है जिसमें प्रार्थीया की जाति चिण्डार है मुताबिक मुताबिक बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2012–31 में प्रार्थीया के पिता/ दादा मु0 गंगा जोजे जगन्नाथ कोम चिण्डार दर्ज है जो आज दिनांक तक जाति चिण्डार ही चली आ रही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 359 के अनुसार प्रार्थीगण की जाति चिण्डार दर्ज ळै नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्व्त् 2073–76 खाता संख्या 358 में प्रार्थीगण की जाति चिंडार दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखेडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 37 में प्रार्थी ओम प्रकाश का नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थी की जाति चिंडार दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 798 ग्राम बापचा में फूलचन्द पुत्र रघुनाथ जाति चण्डाल दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 659 ग्राम बापचा में सीताराम पुत्र रघुनाथ जाति चण्डाल दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 660 ग्राम बापचा में आंवटी फूलचन्द पुत्र रघुनाथ जाति चाण्डाल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 326 में ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति चाण्डाल माफीयात रिज्यूमशन दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम राहरोन सम्व्त् 2068–71 खाता संख्या 24 जगदीश पुत्र गेन्दालाल जाति चाण्डाल सा0 मोतीपुरा का नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

यह प्रार्थना पत्र मूलतः जाति चिंडार के स्थान पर चाण्डाल दर्ज करने का है यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एक संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जा सकता है जिसमें अशोभनीय नामों में सुधार किया जाना अनुमत किया गया है परन्तु जाति बदलने/परिर्वतन करना धारा 136 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत नही आता है। इसलिए प्रार्थी का चिंडार के स्थान पर चाण्डाल जाति दर्ज करने का अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत अनुज्ञेय नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

**:: क्रियात्मक आदेश ::**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)